



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062024-254564
CG-DL-E-05062024-254564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2024/ज्येष्ठ 15, 1946

No. 291]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2024/JYAISHTHA 15, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2024

सा.का.नि. 312(अ).— कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम पेट्रोलियम अधिनियम 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड- 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835 (अ) तारीख 14 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना को जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना, 14 नवंबर, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2024 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 के परंतुक में "ऐसी मात्राओं में" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम में, नियम 26 के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कैल्शियम कार्बाइड के भंडाकरण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की निम्नलिखित दशाओं में अपेक्षा नहीं की जाएगी-

(क) जब वह अस्थायी रूप से ऐसी शर्तों के अधीन पत्तन की सीमा के भीतर जैसा कि पत्तन के संरक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों,

(ख) जब वह रेल प्रशासन या सड़क परिवहन अभिकरण की अभिरक्षा के अधीन अभिवहन में हो;

(ग) जब वह संघ के रक्षा बलों के अधिकार में हो;

4. उक्त नियमों में, नियम 27 के उप नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कैल्शियम कार्बाइड -

(क) पांच किलोग्राम से अनधिक मात्रा में विहित पात्रों में भंडारित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक में एक किलोग्राम से अधिक नहीं होगी; और

(ख) पांच किलोग्राम से अधिक किसी भी मात्रा में, किन्तु दो सौ किलोग्राम से अनधिक भंडारण नहीं किया जाएगा यदि: -

(i) ऐसे पात्रों का किसी शुष्क और अच्छी तरह से संवातित शेड में भंडाकरण किया जाएगा जो भवन का भाग हो सकेगा या उससे संलग्न हो सकेगा परन्तु यह तब जब कि वह किसी पर्याप्त दीवार द्वारा उससे अलग किया गया है और उस तक पहुंचने में साधन केवल बाह्य वायु से है।

(ii) अप्राधिकृत व्यक्तियों को पात्रों तक पहुंचने से रोकने के लिए सम्यक सावधानियां बरती जाएंगी;

(iii) पात्र अच्छी तरह से बंद रखे जाएंगे सिवाए तब जब उनमें से कार्बाइड निकाला जाए;

[फा. सं. पी-13013/1/2021-विस्फोटक]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105(अ), तारीख 18 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ) तारीख 28 फरवरी, 1990, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) तारीख 20 अगस्त, 2015, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1094(अ) तारीख 8 नवंबर, 2018 और सा.का.नि.610(अ) तारीख 31 अगस्त, 2021 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2024

G.S.R. 312(E).—Whereas, the draft rules to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, were published as required by Sub-Section (2) of Section 29 of the Petroleum Act 1934 (30 of 1934), vide notification number G.S.R. 835(E), dated the 14th November, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which the notification was made available to the public;

And whereas the said notification was made available to the public on the 14th November, 2023;

And whereas no objection and suggestions were received from the public on the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Petroleum Act, 1934, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, namely: -

1. (1) These rules may be called the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2024
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Calcium Carbide Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 4, in the proviso, the words “in quantities” shall be omitted.
3. In rule 26 of the said rules, for the proviso, the following proviso shall be substituted namely:-
“Provided that no licence shall be required for storage of calcium carbide –
(a) temporarily within port limits under such conditions as the Conservator of the port may specify,
(b) while in transit under the custody of railway administration or road transport agency;
(c) in the possession of the Defence Forces of the Union”.
4. In rule 27 of the said rules, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted namely:-
“Provided that calcium carbide-
(a) in any quantity not exceeding five kilograms shall be stored in prescribed receptacles each containing not more than one kilogram; and
(b) in any quantity exceeding five kilograms but not exceeding two hundred kilograms shall be stored,-
(i) in receptacles stored in a dry and well ventilated storage shed, which may form a part of or attached to a building that it is separated there from by a substantial partition and the only means of access to it is from outside air;
(ii) due precautions shall be taken to prevent unauthorised persons from having access to the receptacles;
(iii) the receptacles shall be kept securely closed except while taking out carbide there from.”

[F. No. P-13013/1/2021-EXPLOSIVE]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note: The principal rule were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i), *vide* notification number, G.S.R. 105(E) dated the 18th February, 1987 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 109(E) dated the 28th February, 1990, notification number G.S.R. 647(E) dated the 20th August, 2015 notification number G.S.R. 1094(E) dated the 8th November, 2018 and notification number G.S.R. 610(E) dated the 31st August 2021.